अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या 55/2012

मुन्नी देवी — पुनरीक्षणकर्त्ता

वनाम

राज्य एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय के आदेश ज्ञापांक 1199 दिनांकः 15.12.2011 ई० अंदर आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 17/2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का पुनरीक्षण आवेदन एवं निम्नन्यायालय के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार संक्षेप में मामला यह है कि माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग पटना, आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं श्रीमती राखी कुमारी, उप समाहर्त्ता, परीक्ष्यमान के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 15.05.2011 को 1.30 बजे अपराहन् में आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या –12 प्रा०वि0 हरिजन टोला करजाईन परियोजना, राघोपुर के टी०.एच०.आर० का वितरण का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें मूलतः निम्नलिखित अनियमितता पायी गईः–

1. नरगिस खातुन लाभुक की माता श्रीमती बेगम, खातुन को सूखा राशन डेढ़ किलो चावल, आधा किलो दाल के रूप में वितरित किया गया ।

2. लाभुक द्वारा शिकायत की गई कि इससे पूर्व मार्च 2011 में डेढ़ किलो चावल एवं आधा किलो दाल वितरित किया गया था। इस प्रकार कम मात्रा में चावल एवं दाल वितरित किया गया है।

3. सूखा राशन वितरण पंजी बगैर सत्यापन अलग–अलग पंजी खोलकर वितरण दिखाना फर्जी है ।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक 415 दिनांक 18.05.11 द्वारा श्रीमती मुन्नी देवी आंगनबाड़ी सेविका (पुनरीक्षणकर्त्ता) से पाई गई अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण पूछा गया जिसके आलोक में पुनरीक्षणकर्त्ता ने दिनांक 03.06.2011 को अपना स्पष्टीकरण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल

को समर्पित किया गया।

आरोपी (पूनरीक्षणकर्त्ता) के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते हैं है कि बयानकर्त्ता महिला गण में प्रथमतः श्रीमती सुभुतो नाम से कोई भी महिला मेरे आंगनबाड़ी केन्द्र अन्तर्गत पोषक क्षेत्र के नहीं हैं तथा न ही श्रीमती सुभुतों नाम की महिला मेरे द्वारा की गई अद्यतन सर्वेक्षण में अंकित है वो द्वितीय बयानकर्त्ता महिला श्रीमति बेगम खातून जो मुस्लिम टोला पंचायत करजाईन वार्ड नं0 9 की है तथा ये मेरे आंगनबाड़ी केन्द्र की पोषाहार समिति की वर्तमान में सदस्या है। इनकी पुत्री संतान नरगिस खातून उम्र 2 वर्ष 10 माह का नाम मेरे टी०.एच०.आर० पंजी में वर्तमान में कुपोषित श्रेणी में है जिन्हें प्रतिमाह निर्धारित मात्रा में सूखा राशन चावल दाल मेरे द्वारा दिया जाता है। बेगम खातून लाभार्थी कन्या संतान की माता है। जिनके अनुसार टी०.एच०.आर० वितरण समुचित मात्रा में मिलने का कथन किया गया है। वो बयानकर्त्ता महिला गण श्रीमती जहीना खातून मेरे पोषक क्षेत्र अन्तर्गत नहीं है और न ही लाभार्थी के माता या माता समूह में से आती है वो बयानकर्त्ता महिला श्रीमति लालो देवी वार्ड नं०–14 पंचायत करजाईन की है तथा ये किसी लाभार्थी श्रेणी से नहीं आती है वो बयानकर्त्ता महिला श्रीमती मंजू देवी वार्ड नं०–14 पंचायत करजाईन अंतर्गत है। ये न गर्भवती श्रेणी से है और न ही शिशुवती इनका पुत्र संतान दिलखुश कुमार मेरे आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूल पूर्व शिक्षा के अंन्तर्गत नामांकित है, जिन्हें प्रतिदिन पोषाहार का लाभ दिया जाता है।

आगे यह भी कथन करते है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राघोपुर ने अपने पत्रांक 215/ दिनांक 16.06.2011 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल को उनके ज्ञापांक 415/ दिनांक 18.05.11 के प्रसंग में आंगनबाड़ी केन्द्र प्रा० वि० हरिजन टोला, करजाईन रोड –12 के टी०.एच०. आर० पंजी की जॉच प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए जॉच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि " माह अप्रैल 2010 से मई 2011 तक के टी०.एच०.आर० पंजी जॉच क्रम में पाया गया कि माह अप्रैल 10 से अप्रैल 2011 तक टी०.एच०. आर० पंजी में वितरित मात्रा अंकित है परन्तु माह मई 2011 में वितररित मात्रा अंकित नहीं है। लाभुकों से टी०.एच०.आर० पंजी में अंकित वितरित मात्रा की सत्यता की जॉच हेतु लाभुकों से पूछताछ किया गया तो लाभुकों द्वारा बताया गया कि टी०.एच०.आर० पंजी में अंकित मात्रा अनुसार हम लोगों को टी०एच०आर० (चावल+दाल) मिला है। साक्ष्य स्वरूप पुनः अपना हस्ताक्षर/ अंगूठा का निशान लगायी जो जॉच प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। विगत वर्षों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दो बार केन्द्र निरीक्षण किया गया तथा दोनों बार केन्द्र संचालित पाया गया ।"

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उल्लेखित है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा सुनवाई के क्रम में श्रीमती मुन्नी देवी (पुनरीक्षणर्त्ता) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा टी०.एच०.आर० पंजी का चार भोल्युम दिखाया गया। उनके द्वारा पाया गया कि प्रथम भोल्युम में अप्रैल 2010 से सितम्बर 2010 तक टी०.एच०.आर० वितरण संधारित है। अक्टूबर 2010 का वितरण खुला पन्ना में संधारित है। माह नवम्बर 2010 का टी०.एच०.आर० पंजी अलग भोल्युम में हैं एवं अभिप्रमाणित नहीं है। माह दिसम्बर 2010 से मार्च 2011 का अलग– अलग टी०.एच०.आर० वितरण पंजी संधारित किया गया है । उनका मंतव्य है कि टी०.एच०.आर० पंजी का पृष्ठ सत्यापित नहीं रहना, पेज शेष रहते हुए भी नयी पंजी का खोलना, तथा टी०.एच०.आर० वितरण पंजी में वितरित खाद्यान्न की मात्रा दर्ज नहीं रहना पोषाहार राशि का गबन करने का पुष्टि करता है जो राज्य स्तरीय जॉच दल द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुरूप है। अतएव संयुक्त जॉच दल के अनुशंसा को सही मानते हुए श्रीमती मुन्नी देवी, आंगनबाड़ी सेविका को चयन मुक्त किया जाता है।

पुनरीक्षणकर्त्ता अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कथन करती हैं कि जिला पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय में उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया जिसकी सुनवाई विभिन्न तिथियों को करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा उनके ज्ञापांकः 628 दिनांकः 25.06.11 द्वारा निर्गत चयनमुक्त आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन

आवेदन को खारिज किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया पाया कि **दिनांक 04.11.2011 को ऑगनबाड़ी की नई मार्गदर्शिका 2011 की धारा 10.06 में प्रावधानित है कि** *" जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी संबंधित पक्षों को सुनकर 60 दिनों के अंदर आदेश पारित करेंगे। इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी।"* पुराने मार्गदर्शिका 2010 में दिये गये रिमीजन अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। प्रस्तुत मामले में जिला पदाधिकारी, सुपौल का आदेश **ज्ञापांक 1199 दिनांक 15.12.2011** का है। इसलिए यह वाद इस न्यायालय में पोषनीय नहीं है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा